(18)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

76AA 545789

स्टाम्प 10/- नकल नम्बर 1649 वर्ष 2009 के साथ संलग्न है

[illegible]

(12)

2563

15000रु भारतीय गैर न्यायिक 15000रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

00BB 330095

।। श्रीगणेशायनम: ।।

मन कि राज कुमार वयस्क पुत्र श्री टीकाराम निवासी ग्राम रूपपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का हूं।

विदित हो कि मिन मुकिर आराजी भूमिधरी नम्बरी १०६१ रकबा ०.५१२ हे० के १।३ भाग यानी ०.१७१ हे० अर्थात ।।।)१:१३ स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का तन्हा मालिक, काबिज व दखील संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है, कब्जा भी मिन मुकिर का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी भूराजस्व अभिलेखों में है। मिन मुकिर के हिस्से में अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार या भागीदार नहीं है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कब्जा भी मिन मुकिर का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी है। जायदाद उपरोक्त आज दिन तक कुल्ली बार किफालैत से बरी पाक व साफ है। कहीं रेहन, बय, हिबा, मुस्तगरक, अमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा बासरे नीलाम नहीं है तथा किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा विक्रय आदि करने से भी रोका नहीं गया है। तथा किसी बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आजदिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा मुकिर को बजरिये बय-नामा विक्रय करने सम्बन्धी समस्त अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि मुकिर को खर्च खानगी व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता है, जो कि बिना बेचे हुये जायदाद उपरोक्त विवरण निम्नलिखित मिन मुकिर की

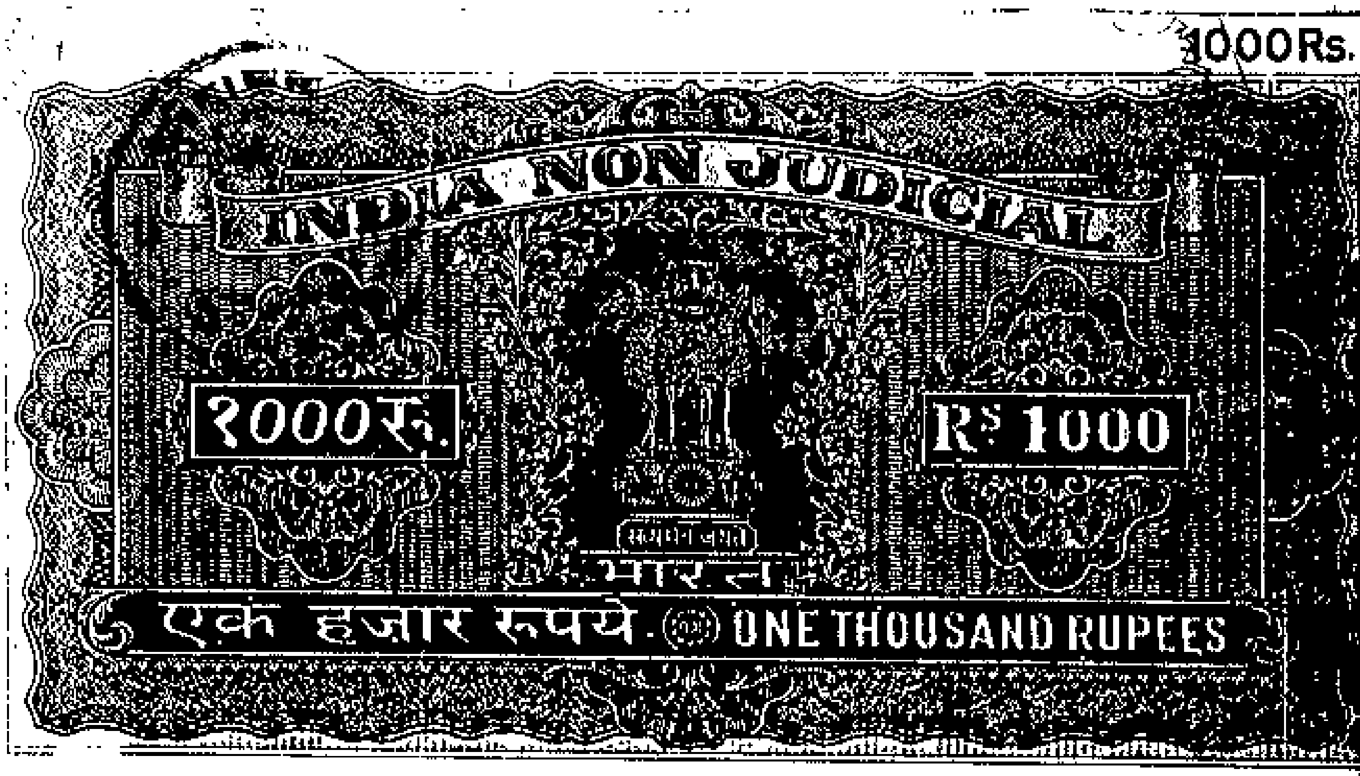

(३)

जरूरत रफा नहीं हो सकती है। लिहाजा मिन मुकिर ने उक्त जायदाद विवरण निम्नलिखित को बेचना उचित समझ कर बेचने की बाबत इधर उधर बातचीत शुरू की तो गुफ्तगू बयपर बिल एवज मुबलिग १,२०,०००/- एक लाख बीस हजार रुपया में महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० रजिस्ट्रेशन संख्या ६६६ सन १९८२ मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री ए० के० जैन पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी ७३ आर० एस० पुरम काकादेव शहर कानपुर खरीद करने पर तैयार व रजामन्द है, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है, बाजारी भाव से कम नहीं है। कीमत मुकिर को मंजूर व तस्लीम है। लिहाजा बहालत सेहत जात बसबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब

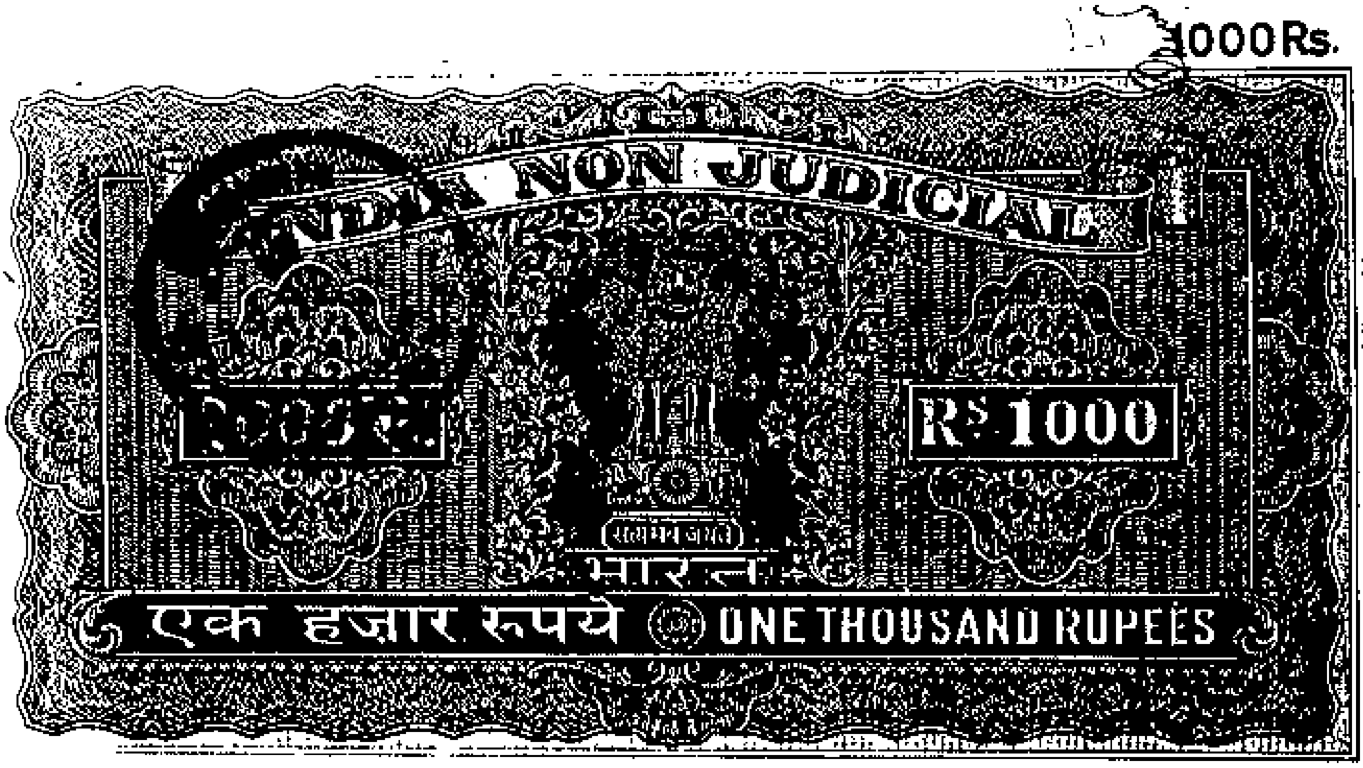

नाजायज के स्वस्थय मन बुद्धि चित्त व इन्द्रियों की दशा में मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल ववायन्दा बिना छोड़े हुए किसी चीज के मय हकूक मालिकाना व इन्त-काली सहित बिल एवज मुबलिग १,२०,०००/- एक लाख बीस हजार रुपया जिसके आधे मुबलिग ६०,०००/- साठ हजार रुपया सिक्का हिन्द सरकार युनियन के होते हैं, बदस्त महावीर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० रजिस्ट्रेशन संख्या ६६६ सन् १९८२ मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री ए० के० जैन पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी ७३ बा२० एम० पुरम काकादेव शहर कानपुर के बय कतई कर दिया यानी बेंच डाला तथा कुल कीमत मिन मुकिर ने उक्त खरीदार से नकद वसूल पा लिया है। निस्बत

पर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा। मिन मुकिर ने मिस्ल अपने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा पर कब्जा मदखल मालिकाना व बाकई खरीदार समिति को करा दिया तथा मालिक,काबिज करा दिया, आज की तारीख से खरीदार समिति मिस्ल मुकिर के जायदाद मुबैया हाजा की एक मात्र मालिक काबिज मदखिल हो गयी। खरीदार को चाहिए कि वह जिस प्रकार से चाहे जायदाद मुबैया हाजा को अपने स्वे-च्छ उपयोग में लायें। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उज्र व एतराज न होगा। खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बजाना मिल-कियत दर्ज करा लेवें, तथा दर्ज नाम मिन मुकिर खारिज करा देवे।

जिसकी रजामन्दी इस बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी। फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी जैसी की भी जरूरत होगी पेश कर देगा। वैसे तो यह दस्तावेज ही काफी है। यदि जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज भाग कब्जा व दखल मुकिर के फेल या तर्कफेल या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से खरीदार से निकल जावे या खरीदार को जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या सर्फ करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिर व वारिसान मुकिर की होगी, और खरीदार को अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर समन मय हरजा खर्चा के मुकिर की दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैरमनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उजुर व एतराज न होगा। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा की पाबन्दी मुकिर व वारिसान मुकिर पर लाजिम व वाजिब होगी।

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के स्वस्थ मन बुद्धि चित्त की दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से यह चन्द कलमात बतौर

बयनामा कतई तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधरी नम्बरी १०६१ एक हजार इक्यानबे रकबा ०.५१२ हे० शून्य दशमलव पाँच एक दो हे० का १।३ एक बटा तीन भाग रकबा ०.१७१ हे० शून्य दशमलव एक सात एक हे० यानी ।।।)१:१३ सोलह बिस्वा तेरह बिसवान्सी स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर विक्रय किया गया है। विक्रेता अनुसूचितजाति एवं जनजाति का नहीं है। स्टाम्प डियूटी सर्किल रेट ३,००,०००।- तीन लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से १,२६,५००।-रुपया पर मुबलिग १८,५००।- रुपया का अदा किया गया है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकि नहीं रहा। मास्टर प्लान में कृषि भूमि दर्ज है। जोन नम्बर २ ब्लाक कल्यानपुर है।

तफसील वसूलयाबी जरे समन मुबलिग १,२०,०००।- एक लाख बीस हजार रुपया।

मुबलिग १,२०,०००।- एक लाख बीस हजाररुपया नकद रुबरु श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिर ने खरीदार

उक्त से नकद वसूल पा लिया है। निस्वत बर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

चौहद्दी जायदाद मुबैया

पूरब- आराजी खरीदार समिति

पश्चिम- आराजी खरीदार समिति व आ०नं० १०६२ का जुजभाग

उत्तर- जुज भाग आराजी नम्बर १०६१

दक्षिण- सीमा ग्राम बैरी अकबरपुर कछार

तहरीर तारीख- ३०-१-१९९६ ई० [illegible]

गवाह१- [illegible] कुमार पुत्र [illegible] कुमार [illegible]
निवासी [illegible] कानपुर नगर

गवाह-२ [illegible] त्रिपाठी पुत्र श्री [illegible]
[illegible] पो० [illegible] जि० कानपुर नगर

टाइपकर्ता-
[illegible]
राजेश कुमार सिंह,
ल०नं० ८३ कोर्ट कानपुर

Drafted by me
[illegible] Adv.
30/1/96
जयपाल सिंह एडवो[illegible]
[illegible]
कोर्ट कम्पाउन्ड कानपुर

113/96

30-1-96

वादि संख्या 1065/98-99
आदेश दिनांक 12/3/2001.
सरकार बनाम मजीद खाँ

20.10.

आज दिनांक 20-10-... को पुस्तक संख्या I जिल्द 1001 के पृष्ठ संख्या 213/220 व क्रम संख्या 2562 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
कानपुर-नगर

6/10/09